राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ 1 (09)।।।/बी/निर्वा/2022/105   जयपुर, दिनांक : 7.01.25

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी**
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः—जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालयों में निर्वाचन कार्य से जुड़े विभिन्न संवर्गो के कार्मिकों हेतु दिशा—निर्देश जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। निर्वाचन बजट मद के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालयों में विभिन्न संवर्ग के पद स्वीकृत हैं। चुनाव कार्य हेतु उक्त स्वीकृत पदों पर विभिन्न संवर्गों के कार्मिक कार्यरत् है।

इसके अतिरिक्त चुनाव कार्य के निष्पादन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों से कार्मिकों की सेवाएं आवश्यकतानुसार अधिग्रहित की जाती है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन का कार्य विशिष्ट प्रकृति के साथ—साथ समयबद्ध कार्य है। चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारीगण/कर्मचारीगण भारत निर्वाचन आयोग के अध्यधीन होते है। चुनाव कार्यों में स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों के पदस्थापन/अधिग्रहण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं : —

1. निर्वाचन बजट मद में स्वीकृत पदों पर कार्यरत् कार्मिकों एवं अधिग्रहित कार्मिकों को निर्वाचन के अतिरिक्त कोई अन्य दायित्व प्रदान नहीं किया जावे।
2. निर्वाचन बजट मद में स्वीकृत पदों पर कार्यरत् कार्मिकों एवं अधिग्रहित कार्मिकों को कार्यालय में रखने की अवधि कार्यग्रहण/पदस्थापन अवधि से अधिकतम 03 वर्ष से अधिक नहीं हो।
3. वे कार्मिक जिनके विरूद्व विभागीय जांच/आरोप पत्र लम्बित हैं अथवा उन्हें किसी भी दण्ड (परिनिन्दा राहित) से दण्डित किया गया हो, को निर्वाचन कार्य में नियोजित/अधिग्रहित नहीं किये जावें।
4. साथ ही जिला अथवा ईआरओ स्तर पर समस्त अधिग्रहित कार्मिकों की सेवाएं मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उनके मूल विभागों को लौटा दी जावे।

उपरोक्त दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

भवनिष्ठ,

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।

D/DEO-V-POST